



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 225 राँची, सोमवार,

17 अप्रैल, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

10 अप्रैल, 2023

संख्या-15/नीति नि०-07-02/2022 का.- 2013--

विषय:- राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24-12-2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में ।

कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24.12.2020 के द्वारा राज्य सरकार की सभी सेवाओं एवं पदों में प्रोन्नति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगायी गयी थी ।

2. प्रोन्नति पर लगाये गये उक्त रोक को हटाने के निमित्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में कतिपय वाद दायर किये गये। माननीय उच्च न्यायालय में दायर WP(S) No.1390/2021 अशोक कुमार सिंह एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य WP(S) No.1422/2021 राम सागर तिवारी एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य, WP(S) No. 3405/2021 रश्मि लकड़ा एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य तथा WP(S) No. 3843/2021 राजकिशोर प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य समरूप वादों में

दिनांक-13.01.2022 को आदेश पारित कर कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24.12.2020 को निरस्त करते हुए निम्नवत् आदेश दियेगये हैं :-

"34. As a sequitur of the aforesaid rules, guidelines and judicial pronouncements, I find impugned order issued vide Memo No. 6752, dated 24.12.2020, by the Principal Secretary, Department of Personnel, Administrative Reforms and Rajbhasha, Government of Jharkhand, is not tenable in the eyes of law and the same is hereby quashed and set aside. As a result of quashment of the blanket order of stay, I, hereby, direct the concerned head of the departments to grant promotion to the petitioners whose cases were considered for promotion by the Departmental Promotion Committee, within a period of four weeks from today. State is further directed to come out with Notification regarding promotion to all such petitioners who have knocked door of this Court with all consequential benefits irrespective of the fact that they have retired. Their cases will be considered from retrospective effect i.e. the date on which they have been found fit for promotion. Since blanket order of stay has been quashed, it is further directed to all head of the departments to consider case of employees for promotion who are otherwise found fit for promotion and if there is no any other legal impediment."

3. उक्त के अनुपालन में कार्मिक विभागीय पत्रांक 3463 दिनांक- 03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति पर जारी स्थगन सम्बन्धी आदेश संख्या-6752 दिनांक- 24.12.2020 को आहरित करते हुए विभागीय पत्रांक-3479 दिनांक 03.06.2022 द्वारा प्रोन्नति की कार्यवाई का आदेश दिया गया है। तदनुसार राज्यान्तर्गत विभिन्न सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति की कार्यवाई प्रारंभ की गयी ।

4. प्रोन्नति में रोक की अवधि में कतिपय सेवानिवृत्त पदाधिकारी के द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने के निमित्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में WP(S) No. 2112/2021 नागेन्द्र चौधरी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य दायर किया गया, जिसमें दिनांक- 23.02.2022 को पारित आदेश के द्वारा इनके मामले को भी माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा WP(S) No. 1390/2021 में दिनांक 13.01.2022 को पारित आदेश के आलोक में विचारित करने का निम्नवत् निदेश दिया गया है :-

"... I hereby direct the petitioner to file fresh representation annexing all the relevant documents on which he is relying, within a period of two weeks from the date of receipt of a copy of this order and after receiving the same alongwith the copy of this order, the respondent-State shall consider the same in accordance with law in and also taking into consideration the judgment dated 13.01.2022, passed in W.P.(S). No. 1390 of 2021 and other analogous cases and thereafter, pass a reasoned order communicating the same to the petitioner within a period of four weeks thereafter."

5. ऐसे अन्य दृष्टांत भी सामने आयें, जिसमें प्रोन्नति में रोक की अवधि में राज्य के सेवा/संवर्गों से सेवानिवृत्त हुए पदाधिकारियों के द्वारा प्रोन्नति हेतु योग्य होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सभी आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान करने के निमित्त माननीय उच्च न्यायालय में विभिन्न वाद दायर किये जा रहे हैं ।

6. उपर्युक्त वर्णित परिप्रेक्ष्य में प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप राज्य के सेवा/संवर्गों में सेवानिवृत्त हुए प्रोन्नति हेतु योग्य पदाधिकारियों को प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाले पद की रिक्ति की उपलब्धता की स्थिति में प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये जाते हैं :-

- (i) कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति में लगायी गयी रोक के फलस्वरूप राज्य के सेवा/संवर्गों में सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारीगण जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य (संबंधित सेवाशर्त नियमावली में प्रावधानित सभी शर्तों यथा वरीयता, आरक्षण उपबंध, कालावधि आदि को पूर्ण करते हों) थे एवं प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाले पद की तत्समय उपलब्धता थी, तो उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम-58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रोन्नति हेतु योग्य होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सभी आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान किया जाय ।
- (ii) यह आदेश कार्मिक विभागीय पत्रांक-6752 दिनांक-24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति में लगायी गयी रोक की तिथि (24.12.2020) से इस आदेश के निर्गत होने के मध्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के संबंध में लागू होगी ।
- (iii) दिनांक-24.12.2020 से इस आदेश के निर्गत होने के मध्य प्रोन्नति हेतु योग्य पदाधिकारी, जो सेवानिवृत्त हो गये हैं, को प्रोन्नति का लाभ प्रदान करने के संबंध में दृष्टांत निम्नवत् है:-

दृष्टांत (1)-यदि कोई पदाधिकारी (वेतनमान 15800-39100 ग्रेड पे० 6600) दिनांक-31.12.2021 को सेवानिवृत्त हुए हैं दिनांक-31.01.2021 को वे प्रोन्नति के योग्य थे एवं प्रोन्नति का उच्चतर पद (वेतनमान 15800-39100 ग्रेड पे० 7600) तत्समय रिक्त था। ऐसी स्थिति में उन्हें दिनांक-31.01.2021 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं उन्हें उत्क्रमित वेतनमान निर्धारित होने के पश्चात् वेतन के अन्तर राशि का वित्तीय लाभ बकाया के रूप में भुगतये होगा। उनके पेंशनादि का निर्धारण वेतनमान 15800-39100 ग्रेड पे० 7600 के आधार पर निर्धारित अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा ।

दृष्टांत (2)-यदि कोई पदाधिकारी (वेतनमान 15800-39100 ग्रेड पे० 6600) दिनांक-31.07.2022 को सेवानिवृत्त हुए हैं। दिनांक-15.07.2022 को वे प्रोन्नति के योग्य थे एवं प्रोन्नति का उच्चतर पद (वेतनमान 15800-39100 ग्रेड पे० 7600) तत्समय रिक्त था। ऐसी स्थिति में उन्हें दिनांक-15.07.2022 के भूतलक्षी प्रभाव से वैचारिक प्रोन्नति प्रदान की जायेगी एवं उन्हें उत्क्रमित वेतनमान निर्धारित होने के पश्चात् वेतन के अन्तर राशि का वित्तीय लाभ बकाया के रूप में भुगतेय होगा। उनके पेंशनादि का निर्धारण वेतनमान 15800-39100 ग्रेड पे० 7600 के आधार पर निर्धारित अंतिम आहरित वेतन के आधार पर किया जायेगा ।

7. इस प्रस्ताव पर राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-15.03.2023 में मद संख्या-16 के रूप में स्वीकृति प्रदान की गयी है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवीण कुमार टोप्पो,
सरकार के सचिव ।
